161

संख्या–557/XXvii (7)02/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी /कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 **देहरादून: दिनांक06 जून, 2013**

विषय: राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों को जिनका वेतन दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित है, को दिनांक 01–01–2013 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–307 एवं 304/XXvii(7)02/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 से मंहगाई भत्ता कमशः पुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों का 72 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचरियों का मूल वेतन के 151 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(2)/2013 संस्था–II(ख), दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तथा 1(3)/2008–संस्था–II(बी), दिनांक 02 मई, 2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–307 एवं 304/XXvii (7)02 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के कम में कमशः पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 01–01–2013 से मंहगाई भत्ता 72 प्रतिशत से बढाकर 80 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मूल वेतन के 151 प्रतिशत से बढाकर 166 प्रतिशत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42 (एम)/97,23 नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 07 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 31 मई, 2013 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जून, 2013 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,

2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–557/xxvii (7)02/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
6– प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रमुख सचिव/ सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।